

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

चरणसिंह बनाम कामला देवी वगैरे

क्रमांक नं० 18/ सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
<p>26-5-22 आज यह वाद पत्र वादी के वकील ने उपस्थित आकर पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जारिये रजिस्ट्रार सम्मथ तलवाना से तलब हो। वादी के वकील रजि० तलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी फिनांक 2-8-22 को पेश हो।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> नीमराना (अलवर) राज.</p> <p>2-8-22 आज पत्रावली का पेश किया। वकील उपस्थित है, रजि० तलबी सम्मथ वास्त है। पत्रावली जम्मे रजि० तलबी का पत्र है। दिनांक 14-11-22</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> नीमराना</p> <p>14-11-22 आज पत्रावली का पेश किया। वकील उपस्थित है, रजि० तलबी सम्मथ वास्त है। पत्रावली जम्मे रजि० तलबी का पत्र है। दिनांक 21-11-22</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> नीमराना</p>	<p>1388</p> <p>9-9-22</p>

नम्बर  
अहकाम  
की तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

~~परवर्तित व/स कर्म~~

हुकम

21/12/21

आपके आदेशों के अनुसार। वकील, वकील के  
वकील अधिवक्ता। परवर्तित में बार-बार आदेश  
लगाए गए। परन्तु वकील, वकील के वकील अधिवक्ता  
वकील आदि को ही सुपना प्राप्त हो। समस्त  
परवर्तित होता है कि वकील-वकील चलाना  
ही नहीं पाएगा है। अतः वकील का वकील  
आदेश पेशी व आदेश दायरे में रखा जा  
किता जाता है। परवर्तित को मत समझें  
वकील काम है। वकील दायरे है।

उपरोक्त अधिकारी  
नीमराणा (जोड़वली-बहरोड)